दस टका दश टाका ૬સ રૂપિયા ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ പത്തു രൂപ दहा रुपये ଦଶ ଟଙ୍କା ਦਸ ਰੁਪਏ दश रूप्यकाणि

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO A/c Officer, CPIO, S.E.E.
Power Grid corporation of India Ltd.
Kanpur U.P.

दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹ 10

AT THE POST OFFICE AT Kanpur

के डाकघर में अदा करें।

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दें।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

Shanti Prakash Yadav
R/o- Village Nagala Vali
P/o- Bhadana, District
Firozabad U.P.

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

पोस्ट मास्टर POSTMASTER
1/9/2020

सत्यमेव जयते

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

51F 796457

APPLICATION FOR SEEKING INFORMATION UNDER THE RIGHT TO INFORMATION ACT 2005.

To

The Central Public Information Officer,

The Senior Executive Engineer,

Power Grid Corporation of India Ltd.,

(Govt. of India Enterprise)

400/220 K.V., Sub Centre, Post- Chakarpur-Kanpur,

Kanpur, U.P., PIN Code-208001.

1. Name of the Applicant:- Shanti Prakash Yadav S/O- Late Shankar Singh.

2. Permanent Address:-Village- Nagala Vali, P/O- Bhadana, PS- Eka,

   Tehsil- Jasrana, District:- Firozabad, U.P.
   Mobile No.- 9818120682, 9818166409.

Sir it is respectfully submitted as under:-

3. **INFORMATION SOUGHT**:-

(A) What action have been taken by the authority after receiving application with annexure dated 17.09.2018 and Joint Affidavit of owners of land and the applicant with covering letter dated 22.10.2018. **Kindly find enclosed application with index of annexure dated 17.09.2018 and letter dated 10.11.2015 of Prabhat Kumar Singh, E.E. (NR-1), and Joint Affidavit of owners of land and the applicant with covering letter dated 22.10.2018. (Total 9 pages).**

Wiresh Kumar

(B) Whether the applicant is entitled to get an appropriate compensation of damaged crop of Bajara in the month of August 2013 an area measuring about 1900Sq.Meter was completely damaged in the processes of foundation work of Tower and at the time of installation work of Tower in the month of December 2013 when Tower was erected an area measuring about 2600 Sq. Meter of potato crop was completely damaged by the Tractors and machines used?

(C) Whether non-payment of compensation of damaged crops as above mentioned, despite repeated oral and written request for the same and passing of long period of time is amount to dereliction of duties of a public servant?

(D) Whether non action (even after passing a long period of time) by the public servant on account of non-payment of compensation of damaged crops does not create suspicion that the payment of compensation for damaged crops was not made because illegal gratification was not paid?

(E) What action would like to take against the concerned public Authority for dereliction of their duties on their part?

(F) Kindly take an appropriate 'punitive and administrative' action as per law and supply the information to the applicant.

(G) You are also requested to take an appropriate steps for making payment of compensation for damaged crops as mentioned as mentioned above, within a period of one month start from the date of received of this RTI Application.

Viresh Kumar

(H) Kindly supply the information sought with documentary proof for the next course of action.

(F) Kindly furnished the information sought parawise within a period of 30 days as stipulated time in the RTI Act 2005.

4. To the best of my knowledge that the information sought does not fall within the restriction contained in section 8 and 9 of the Act and it pertains to your office.

5. This to certify that I, Viresh Kumar S/O- Late Shankar Singh am a citizen of India.

6. A fee of Rs.10/- has been paid vide postal order No.51F 796457dated-01.09.2020.

Place:- Firozabad, U.P. Applicant

Dated 05.10.2020

Shanti Prakash.

Shanti Prakash Yadav

Though his real brother:-

Viresh Kumar

Viresh Kumar Yadav, Advocate, S.C.

Address for all correspondence:-

Viresh Kumar Yadav,

Advocate, Supreme Court of India,

H. No.- 872, IInd Floor, Sector-1, Vasundhra, Ghaziabad, U.P.,

PIN-201012.

Mobile No.- 9818120682, 9818166409.

O/C

4.

Viresh Kumar Yadav,

Advocate, Supreme Court of India,
R/O- H. No.- 872, IInd Floor, Sector-1,
Vasundhra, Ghaziabad, U.P., PIN-201012.
Mobile No.- 9818120682, 9818 66409.

RU184202033IN IVR:828518... भारतीय डाक
RL GHAZIABAD HO <201001>
Counter No:6, 18/07/2018, 1...
To:SET, KANPUR
PIN:208001, Kanpur HO
From:VIRESH, GZB
Wt:76gms
Amt:37.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 1800 266 6868>
India Post

Comp./RTI/Ap-2/2018

Dated-17.09.2018

To

The Senior Executive Engineer,

Power Grid Corporation of India Ltd.,

(Govt. of India Enterprise)

400/220 K.V., Sub-Centre, Post- Chakarpur-Kanpur,

Kanpur, Pin – 208001, U.P.

INDEX OF DOCUMENTS

1. An Application for Compensation dated 17.9.2018. 01-02
2. Photo Copy of Reply of the First Appellate Authority Prabhakar Singh, Executive Director (NR-1) dated 10.11.2015. 03.
3. Photo Copy of Memo of RTI Appeal dated 26.10.2015 along with photo Copy of Postal Receipt. 04-06
4. Photo Copy of RTI Application dated 03.8.2015 along with photo Copy of Postal Receipt. 07-08
5. Photo Copy of RTI Reply dated 25.8.2015. 09-10
6. Photo Copy of Fard of the land Khata No.575 and Khasara No. 346, 341, 342. 11
7. Photo Copy of application dated 03.8.2015 along with photo copy of application of land owner dated 03.8.2015. 12-13

Applicant
Shanti Prakash Yadav
Shanti Prakash S/O- Late Shankar Singh
R/O- Village- Nagala Vali (Shanti Nagar)
P/O-Bhadana, P/S-Eka, District- Firozabad, U.P.

Through Advocate and ~~his real~~ younger brother.

Viresh Kumar Yadav, Advocate, Supreme Court of India.

Self Attested
Viresh Kumar

5.

1.

Viresh Kumar Yadav,
Advocate, Supreme Court of India,
R/O- H. No.- 872, IInd Floor, Sector-1,
Vasundhra, Ghaziabad, U.P., PIN-201012.
Mobile No.- 9818120682, 9818166409.

Comp./RTI/Ap-2/2018

Dated-17.09.2018

To

The Senior Executive Engineer,

Power Grid Corporation of India Ltd.,

(Govt. of India Enterprise)

400/220 K.V., Sub-Centre, Post- Chakarpur-Kanpur,

Kanpur, Pin – 208001, U.P.

Subject:- Application For Compensation of damaged Crop as per advise of RTI First Appellate Authority Mr, Prabhakar Singh, Executive Director (NR-1).

Sir

It is respectfully submitted that the Applicant was cultivating land in the year 2013-2014 after taking 11 Bigha Land on Lagan vide Khata No. 575 with Khasara No.346,341, 342 from Shri Prempal Singh, Shri Haripal Singh and Shri Gotam Singh and the same land in the way of 765K.V. Circular Kanpur Jhatikara Parisad Line(part-1) and 400K.V. Double Circuit (Kawad)Kanpur Line location No. 128/7.

It is further respectfully submitted that in the month of August 2013 an area measuring about 1900Sq.Meter of Bajara Crop was completely damaged in the processes of foundation work of tower and at the time of installation work of tower in the month of December 2013 when tower was erected an area measuring 2600Sq.Meter of Potato Crops completely damaged by the Tractors and machines used for the same Khata No.575 and Khasara No. 346, 341, 342.

Viresh kumar

6-

2.

It is further respectfully submitted that when compensation of damaged crops was not paid by the concerned officer despite repeated request for the same, then aggrieved from non-payment, the applicant filed an RTI application in this regard annexing all the original documents and same was incorrectly replied by the CPIO. Therefore, aggrieved from incorrect reply by the CPIO, the applicant filed First Appeal before the First Appellate Authority Prabhakar Singh, Executive Director (NR-1) and the First Appellate Authority in his reply advised to approach the officials of Power Grid Corporation Kanpur.

It is therefore, humbly prayed that appropriate compensation may be awarded to the applicant in the interest of justice for the damaged crop of Bajara in the month of August 2013 an area measuring about 1900Sq.Meter was completely damaged in the processes of foundation work of tower and at the time of installation work of tower in the month of December 2013 when tower was erected an area measuring 2600Sq.Meter of Potato Crop was completely damaged by the Tractors and machines used. The applicant shall pray forever.

Dated 17.9.2018

Applicant

Shanti Prakash yadav

Shanti Prakash S/O- Late Shankar Singh

R/O- Village- Nagala Vali (Shanti Nagar)

P/O-Bhadana, P/S-Eka, District- Firozabad, U.P.

Through Advocate and his real younger brother.

Viresh Kumar Yadav,

Advocate, Supreme Court of India.

Viresh Kumar

h Kumar Y...

7.

3

पावरग्रिड

POWERGRID CORPORATION OF INDIA LTD.
NORTHERN REGION-I
B-9, QUTAB INSTITUTIONAL AREA
KATWARIA SARAI, NEW DELHI

REF No.: Power Grid/NR-I/RTI/826/ 8448 **Dtd.**10.11.2015

To

Shri Viresh Kumar Yadav,
Advocate, Supreme Court of India,
H. No. 1253, Sector-3, Vasundhra,
Ghaziabad U.P., Mobile No. 09818120682, 09818166409

AND

Shri Shanti Prakash Yadav
S/o Late Shankar Singh, Village Nagala Vali,
Post Office Bhandana, P.S. Eka, Distt-Firozabad U.P.

Subject: Regarding Appeal dt.26.10.2015 against RTI application dt.03.08.2015.

Dear Sir,

This has reference to your Appeal dt.26.10.2015 filed under Section 19(1) of the Right to Information Act-2005 against the information provided on your RTI application dt.03.08.2015. The relevant Information as per records available has already been provided by CPIO, NR-I vide his letter dt.25.08.2015. In point No.3(A) of your RTI appeal it is mentioned by you that CPIO NR-I has denied and not supplied correct information which is illegal, arbitrary, unjustified, unconstitutional and unlawful. On going through the RTI application, information supplied and RTI Appeal filed by you it is concluded that the irrelevant wordings used by you is not correct.

Further it may be intimated that as per the provisions of RTI Act, an appeal can be filed by the applicant only within thirty days of the information received from the concerned CPIO. The stipulated period has been expired. Therefore, your appeal is rejected. Further you may be advised to visit our Power Grid Kanpur Office and discuss the matter with the concerned officials i.e. Shri B.K.Singh, Mobile No.9415311711 on taking prior appointment, so that your problem can be solved.

Please acknowledge the receipt of the same.

Thanking you.

[Yours faithfully,

[Prabhakar Singh]
Executive Director (NR-I)
First Appellate Authority, NR-1
POWERGRID, New Delhi

LTD., therefore, the company is liable to make the compensation payment of damaged crop in the construction of a Transmission Line.

self Attested
Viresh Kumar

सेवा में,

श्रीमान वरिष्ठ मुख्य अभियन्ता
भारतीय पावर ग्रिड कारपोरेशन लि0
(भारत सरकार उपक्रम)
400/220 के0वी0 सव सेन्टर, पोस्ट चकरपुर (कानपुर)
कानपुर, पिन कोड– 208001 उ0प्र0।

विषय– प्रार्थना पत्र दिनांक 17.09.2018 वास्ते नष्ट हुई फसल हर्जाना के संदर्भ में शपथपत्रों के साथ प्रार्थना पत्र

श्रीमान जी,

निवेदन है कि प्रार्थी शान्तीप्रकाश पुत्र स्व0 श्री शंकर सिंह निवासी नगला वली (शान्तीनगर) पोस्ट भदाना तहसील जसराना जिला फिरोजाबाद का स्थाई निवासी है।

आगे निवेदन है कि प्रार्थी के खेत में अगस्त 2013 व दिसम्बर 2013 में प्रार्थी ने क्रमश वाजरा की फसल व आलू की फसल वोई थी जो कि टावर के फाउण्डेशन के समय वाजरा की 1900 वर्गमीटर की तथा टावर के खडा करने के समय आलू की फसल दिसम्बर 2013 में 2600 वर्गमीटर फसल ट्रेक्टर तथा मशीनों व लेवर के पैरों से पूरी तरह नष्ट हो गयी थी। जिसके संदर्भ मे प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अपने वकील वीरेश कुमार यादव एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिनांक 17.09.2018 को भेजा गया था जो कि अभी प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नही हुई है।

आगे निवेदन है कि प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 17.09.2018 के सपोर्ट में अपना शपथपत्र व खेत मालिकों श्री प्रेमपाल सिंह, हरिपाल सिंह व गौतम सिंह पुत्रगण स्व0 श्री करन सिंह के शपथपत्र इस आशय से भेजे जा रहे है। कि प्रार्थी को नष्ट हुई फसल का मुआवजा अभी नही दिया गया है। तथा प्रार्थी ही नष्ट हुई फसल के मुआवजे का मूल रूप से लेने के अधिकारी हैं।

अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थना पत्र दिनांक 17.09.2018 तथा प्रार्थी के शपथपत्र तथा खेत मालिकों के शपथ पत्रों पर संज्ञान लेकर प्रार्थी को अतिशीघ्र उचित मुआवजा दिलाया जाये जिससे प्राथी के साथ न्याय हो सके। प्रार्थी आपका जीवन पर्यन्त अति आभारी रहेगा।

दिनांक – 22.10.2018

प्रार्थी
Shanti Prakash Yadav
शान्तीप्रकाश पुत्र स्व0 श्री शंकर सिंह
निवासी नगला वली (शान्तीनगर) पोस्ट भदाना
तहसील जसराना जिला फिरोजाबाद

Through Advocate

VIRESH KUMAR YADAV, Adv.
Supreme court of India
Mb. No. 9818120682
9818166409

संलग्नकः–

1. शपथपत्र खेत मालिक दिनांकित 22.10.2018 का
2. शपथपत्र प्रार्थी का दिनांकित 22.10.2018

Self Attested
Viresh Kumar

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH शपथपत्र 42AD 180142

समक्ष श्रीमान वरिष्ठ मुख्य अभियन्ता
भारतीय पावर ग्रिड कारपोरेशन लि0
(भारत सरकार उपक्रम)
400/220 के0वी0 सब सेन्टर, पोस्ट चकरपुर (कानपुर)
पिन कोड– 208001 उ0प्र0।

विषय– प्रार्थना पत्र दिनांक.17.09.2018 वास्ते नष्ट हुई फसल हर्जाना के संदर्भ में शपथपत्र

शपथपत्र मिनजानिब श्री प्रेमपाल सिंह, हरिपाल सिंह व गौतम सिंह पुत्रगण स्व0 श्री करन सिंह स्थाई निवासी गांव रूद्रपुर पोस्ट भदाना तहसील जसराना, थाना एका, जिला फिरोजाबाद के निवासी है।

1. यह कि शपथकर्तागण उक्त नाम व पते के निवासी है। तथा शपथकर्तागण के नाम व वल्दियत का अन्य कोई व्यक्ति निवास नही करता है।

2. यह कि शपथकर्तागण खाता सं0 575 और खसरा संख्या 341,342 व 346 रकवा 11 वीघा के काविज व मालिक है।

3. यह कि सन् 2013–2014 में शपथकर्ताओं ने अपना उक्त खेत श्री शान्तीप्रकाश गांव नगला वली (शान्तीनगर) पोस्ट भदाना, तहसील– जसराना, थाना– एका जिला फिरोजाबाद को उचित मूल्य लेकर पट्टे पर दिया था।

4. यह कि उपरोक्त भुखण्ड 765 के0वी0 कानपुर झटीकरा परिषद लाइन (पार्ट–1) और 400–के0वी0 डवल सर्किट (कवाड) कानपुर लाइन, लोकेशन नं0 128/7 के रास्ते मे पडता है।

5. यह कि अगस्त 2013 के महीने में उपरोक्त भूखण्ड का 1900 वर्गमीटर में वाजरा की फसल टौवर की फाउण्डेशन के समय ट्रेक्टर व मशीनो के उपयोग से पूरी तरह नष्ट हो गयी थी।

6. यह कि दिसम्बर 2013 में टावर के खडे करते समय 2600 वर्गमीटर आलू की फसल टैक्टर तथा मशीनों के प्रयोग से पूरी तरह नष्ट हो गयी थी।

7. यह कि उपरोक्त वाजरा तथा आलू की फसल का हर्जाना न तो शपथकर्तागण को दिया गया है और नही पट्टेदार श्री शांती प्रकाश को दिया गया है। जो कि श्री शांतिप्रकाश हर्जाना प्राप्त करने के मूल हकदार है।

8. यह कि विजय पाल सिंह, महावीर सिंह पुत्रगण स्व0 श्री भुल्लन सिंह तथा शपथकर्तागण प्रेमपाल सिंह, हरपाल सिंह, गौतम सिंह, पुत्रगण स्व0 श्री करन सिंह उपरोक्त खाता सं0 खसरा संख्या में सह खाते दार है।

9. यह कि उपरोक्त विजय पाल सिंह व महावीर सिंह को तीनों स्तरों टावर की फाउण्डेशन वर्क, टॉवर खडा करने, तार खीचने के वक्त का फसल नष्ट होने का हर्जाना मिल चुका है।

10. यह कि उपरोक्त विजयपाल सिंह , महावीर सिंह व शपथकर्तागण के उपरोक्त खेत में बीच में मेड है तथा टॉवर मेड के दोनो तरफ खडी की गई है तथा दोनो खेतो मे नुकसान हुआ था।

11. यह कि शपथकर्तागण का खेत रोड से लगा हुआ है। जिस कारण से शपथकर्तागण के खेत से होकर ट्रेक्टर तथा अन्य मशीनों टॉवर के नजदीक ले जाने में शपथकर्तागण के खेत में अत्यधिक नुकसान हुआ है।

12.यह कि विजयपाल सिह, महावीर सिंह के खेत के हिस्से में फसल होने का हर्जाना इन लोगो को दिया जा चुका है तथा शपथकर्ताओं को भी 2015 में तार खीचने के समय का हर्जाना मिल चुका है।

13. यह कि शपथकर्तागण के खेत में अगस्त 2013 तथा दिसम्बर 2013 में किये गये फसल हर्जाने का मुआवजा तत्कालीन पट्टेदार श्री शंति प्रकाश को दिया जाना चाहिये। क्योकि श्री शान्तीप्रकाश ही इसके असली हकदार है। और यदि यह हर्जाना अगर शांति प्रकाश को दिया जाता है। तो शपथकर्तागण को कोई आपत्ति नही है। तथा शपथकर्तागण इस शपथपत्र के माध्यम से प्रार्थना करता है। कि श्री शांति प्रकाश को उचित फसल मुआवजा देकर न्याय दिलाया जाये।

14 यह है कि शपथपत्र शपथकर्तागण द्वारा इस आशय से दिया जा रहा है जिससे तत्कालीन फसल नष्ट का मुआवजा देकर न्याय मिल सके।

यह कि शपथपत्र की मद सं0 1 लागायत 14 मेरे निजी ज्ञान व जानकारी में सही व सच है। कोई तथ्य छिपाया नही गया है। ईश्वर मेरी मदद करे। तस्दीक व मुकाम एटा।

प्रेमपाल सिंह हरपाल सिंह गौतम सिंह ह0 शपथकर्ता गण

4

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES 10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL

FIVE RUPEES

NOTARIAL

CANCELLED

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

42AD 180141

शपथपत्र

समक्ष श्रीमान वरिष्ठ मुख्य अभियन्ता
भारतीय पावर ग्रिड कारपोरेशन लि0
(भारत सरकार उपकम)
400 / 220 के0वी0 सब सेन्टर, पोस्ट चकरपुर (कानपुर)
पिन कोड– 208001 उ0प्र0।

विषय– प्रार्थना पत्र दिनांक 17.09.2018 वास्ते नष्ट हुइ फसल हर्जाना के संदर्भ में शपथपत्र

शपथपत्र मिनजानिब श्री शांति प्रकाश पुत्र स्व0 श्री शंकर सिह निवासी ग्राम नंगला वली (शांती नगर) पोस्ट– भदाना, थाना– एका, तहसील–जसराना, जिला फिरोजाबाद।

1. यह कि शपथकर्तागण उक्त नाम व पते के निवासी है। तथा शपथकर्तागण के नाम व वल्दियत का अन्य कोई व्यक्ति निवास नही करता है।

2. यह कि शपथकर्ता वर्ष 2013–2014 मे खाता संख्या 575 की खसरा संख्या 341,342 व 346 का पट्टेदार था तथा खेत श्री प्रेमापाल सिंह, हरिपाल सिंह व गौतम सिह पुत्रगण स्व0 श्री करन सिंह निवासी गांव रूद्रपुर, पोस्ट–भदाना, तहसील– जसराना जिला फिरोजाबाद से शपथकर्ता ने पट्टे पर लिया था।

3. यह कि उक्त भुखण्ड 765–के0वी0 सरक्यूलर कानपुर छटीकरा परिषद लाइन पार्ट–1 और 400–के0वी0 डवल सर्किट कवाड कानपुर लाइन लोकेशन नं0 128 / 7 के रास्ते में पडता है।

NOTARY ETAH

Shanti Prakash Yadav

Self Attested
Nirash kumar

4. यह कि अगस्त 2013 में उपरोक्त खेत का 1900 वर्गमीटर में वाजरा की फसल टॉवर की फाउण्डेशन के समय ट्रेक्टर व मशीनों के प्रयोग से पूरी तरह नष्ट हो गयी थी।
5. यह कि दिसम्बर 2013 में टावर के खडे करत समय 2600 वर्गमीटर आलू की फसल ट्रेक्टर व मशीनों के प्रयोग से पूरी तरह नष्ट हो गयी थी।
6. यह कि उपरोक्त नष्ट हुई फसल का मुआवजा न तो शपथकर्ता को दिया गया है। जिसका शपथकर्ता मूल रूप से अधिकारी है। और नाहीं खेत मालिकों को दिया गया है।
7. यह कि विजयपाल सिंह व महावीर सिंह पुत्रगण श्री भुल्लन सिह तथा प्रेमपाल सिंह, हरपाल सिंह व गौतम सिंह पुत्रगण स्व0 श्री करन सिंह उपरोक्त खाता सं0 तथा खसरा संख्या में सह खाते दार है।
8. यह कि विजय पाल सिंह व महावीर सिंह को तीनों स्तरों टावर की फाउडेशन टावर खडा करने तथा तार खीचने के वक्त फसल नष्ट होने का हर्जाना मिल चुका है। तथा फरवरी 2015 में तार खीचने से नष्ट हुई फसल का मुआवजा हरपाल सिह पुत्र स्व0 श्री करन सिंह को मिल चुका है।
9. यह कि विजयपाल सिंह व महावीर सिह तथा प्रेमपाल सिंह, हरिपाल सिंह व गौतम सिंह के खेत के बीच में मेड है टावर मेड के दोनो तरफ खडा किया गया है।
10. यह कि शपथकर्ता को खाता संख्या 1071 तथा खसरा संख्या 471 जो शपथकर्ता का निजी खेत है। अगस्त 2013 मं वाजरा की फसल खडी थी जिसमें टावर के कर्मचारियों ने अपना सामान ट्रेक्टर व अन्य मशीनें को खडे करने का स्टोर वनाया हुआ था। जिसकी वजह से शपथकर्ता की वाजरा की फसल नष्ट होने का मुआवजा दिया गया था तथा यह खेत फरवरी 2015 में शपथकर्ता के छोटे भाई सत्यप्रकाश पुत्र स्व0 श्री शंकर सिंह द्वार आलू की फसल उगाई गयी थी। जो तार खीचने से नष्ट हो गई थी जिसका मुआवजा सत्यप्रकाश यादव को दिया गया था।
11. यह कि शपथकर्ता ने कभी भी कोई गलत तरीके से फसल नष्ट होने का मुआवजा नही लिया है।
12. यह कि यह शपथपत्र इस आशय से दिया जा रहा है कि शपथकर्ता को अगस्त 2013 व दिसम्बर 2013 में नष्ट हुई फसल का उचित मुआवजा दिया जाये जिससे शपथकर्ता को न्याय मिल सके।

यह कि शपथ पत्र की मद सं0 1 से 12 तक मेरे निजी ज्ञान में सच वसही है। तथा कोई तथ्य छिपाया नही गया है। ईश्वर मेरी मदद करे तस्दीक व मुकाम एटा।

NOTARY 22/10/18

दिनांक– 22.10.2018

Shanti Prakash Yadav
ह0 शपथकर्ता

Virendra Kumar.

From:-
Viresh Kumar,
Advocate, Supreme Court of India,
H. No.- 872, IInd Floor, Sector-1, Vasundhra, Ghaziabad, U.P.,
PIN-201012.
Mobile No.- 9818120682, 9818166409.

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन
कानपुर

1/10

THROUGH REGISTERED POST

To

The Central Public Information Officer,

The Senior Executive Engineer,

Power Grid Corporation of India Ltd.,

(Govt. of India Entreprise)

400/220 K.V., Sub Centre, Post- Chakarpur-Kanpur,

Kanpur, U.P., PIN Code-208001.

R

RU611752585IN

Hub
PO:Jammu Cantt SO<180003>

भारतीय डाक
India Post

11752585IN
unter No:3,06/10/2020,12:15

:37.00(Cash)Wt:70gms

om:NEW RAJ NAGAR SO <201002>
om: Hub
: Hub

10 10 20